nagar near Varanasi and Patna. Till the end of 1987-88, 42 schemes at an estimated cost of Rs. 19.38 crores are expected to be completed. The progress of execution is being monitored.

(iv) Extensive arrangements have been made for monitoring water quality according to specific parameters in 27 locations.

(v) To secure public involvement in the Ganga Action Plan programme of public awareness about the problems of pollution and ways to prevent these as well as programme of direct public participation have been taken up.

(vi) Till 30th June, 1987 an amount of Rs. 36.98 crores have been released to the executing agencies in states for execution of schemes out of which the agencies have reported utilisation of an amount of Rs. 34.96 crores.

के० लो नि० वि० और अन्य विभागों के कनिष्ठ अभियन्ताओं द्वारा हड़ताल

1767. **श्री रामसिंहभाई पातलियाभाई राठवा** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि के०लो नि० वि० और अन्य विभागों के कनिष्ठ अभियन्ताओं ने अपनी मांगें पूरी कराने के लिए हड़तालें की, नियम के अनुसार कार्य किया और मांगपत्र प्रस्तुत किए,

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगे क्या हैं और उनके द्वारा कितनी बार हड़तालें की गई तथा इन हड़तालों के कारण जनता, सरकार और कनिष्ठ अभियन्ताओं को कितनी-कितनी हानि हुई ;

(ग) हड़ताल में भाग लेने पर कितने अकनिष्ठ अभियन्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही की गई ;

(घ) उनके मांगपत्र के जवाब में उन्हें क्या आश्वासन दिए गए ;

(ङ) उन आश्वासनों को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(च) इस प्रकार की हड़तालें भविष्य में न हों इसे सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (के०लो०नि०वि०) और दूरसंचार विभाग के कनिष्ठ अभियन्ताओं ने हड़ताल की और नियम के अनुसार कार्य किया और कई मांगें प्रस्तुत की।

(ख) उनकी मांगों के बारे में ब्यौरे संलग्न विवरण में समाविष्ट हैं (नीचे देखिये) के०लो०नि०वि० और दूरसंचार विभाग के कनिष्ठ अभियन्ताओं ने विगत दो वर्षों के दौरान क्रमशः, दो बार और एक बार हड़ताल की। इन हड़तालों के कारण हुई क्षति की धन के रूप में संगणना नहीं की गई है।

(ग) एसोसियेशन आफ जूनियर इंजीनियर्स के सदस्यों के साथ हुए एक करार के कारण, दूरसंचार विभाग ने आन्दोलनात्मक कार्यक्रमों में भाग लेने वाले कनिष्ठ अभियन्ताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई न करने के लिए सहमति व्यक्त की है। उपलब्ध सूचना के अनुसार के०लो०नि०वि० ने उन 791 कनिष्ठ अभियंताओं के खिलाफ कारवाई करना प्रारम्भ कर दिया है जिन्होंने हड़तालों में भाग लिया।

(घ) से (च) जहां तक दूर संचार के कनिष्ठ अभियंताओं की मांगों का प्रश्न है, आन्दोलनों के नाटस प्राप्त होने पर संरक्षण कार्यवाहियां प्रारम्भ की गई और जूनियर इंजीनियर्स टेलीकाम एसोसियेशन के साथ अगस्त, 1986, नवम्बर, 1986 और फरवरी, 1987 में करारों पर हस्ताक्षर करने के फलस्वरूप आन्दोलनों को वापस ले लिए गया था। दूर संचार विभाग में कनिष्ठ अभियंताओं (सिविल और इलेक्ट्रिकल) की मांगों को भी जांचा। उन्हें आश्वासन दिया गया कि (1) भरती नियमों में संशोधन भविष्य लक्षी प्रभाव से किया जाएगा और (2) वर्ष में एक बार लेखा में परीक्षा आयोजित की संभाव्यता के इस दृष्टि

से जांच की जाएगी कि क्या उसका दूरसंचार विभाग के अगले वाले वर्षों में कार्यक्रमों के साथ मेल मिलाप किया जा सकता है। उन्होंने एसोसिएशन के साथ हुए करार की शर्तों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करना प्रारम्भ कर दिया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसी हड़तालें फिर न हों, दूरसंचार विभाग को जब कभी मांगें प्राप्त होंगी, वह उनकी जांच करेगा और उन्हें गुणागुण के आधार पर निपटाएगा।

जहां तक के लो नि वि० के कनिष्ठ अभियन्ताओं की मांगों का प्रश्न है, शहरी विकास मंत्रालय ने के लो नि वि० के कनिष्ठ अभियन्ताओं की सभी मुख्य मांगों पर विस्तार से विचार किया। वेतनमानों में तर्कसंगतता, संवर्गों को अलग अलग करना, संवर्ग समीक्षा, निर्धारित यात्रा भत्ता, जैसी कुछ मांगों को अंतिम रूप दे दिया जा चुका है। कनिष्ठ अभियंताओं के प्रतिनिधियों के साथ महानिदेशक (कार्य) कार्यालय में और शहरी विकास मंत्रालय में विभिन्न स्तरों पर विचार-विमर्श हुआ है।

विवरण

निम्नलिखित कार्यालयों के कनिष्ठ अभियन्ताओं की मांगें

के लो०नि वि०

1. वेतनमानों में वर्तमान असंगति को पूर्वप्रभाव से समाप्त करना और के०लो०नि० विभाग के कनिष्ठ अभियन्ताओं के लिए (मूल ग्रेड) न्यूनतम वेतनमान 1640-2900 रुपये।
2. कनिष्ठ अभियन्ताओं के संवर्ग को अलग-अलग न करना।
3. वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता आधार पर संवर्ग पुनरीक्षा पदोन्नति का तत्काल कार्यान्वयन।
4. निर्धारित यात्रा भत्ता।
5. आयोजना विशेष वेतन और डिजाईन विशेष वेतन को बढ़ाना।
6. कम से कम 15 वर्ष के पश्चात कनिष्ठ अभियन्ताओं की वैयक्तिक पदोन्नति।
7. सेवा काल में कम से कम दो पदोन्नतियां।
8. स्टोर हैंडलिंग विशेष भत्ता/वेतन।
9. (क) श्रेणी-II सीधी भर्ती नियमों, सी०ई०एस० के नियमों 3(क) और सी०ई०ई एस श्रेणी-II नियमों का समाप्त करना; और

   (ख) श्रेणी-I भर्ती पर प्रतिबन्ध।
10. अपूर्व अवरुद्धता समाप्त करने के लिए विभाग का विस्तार करना, संवर्ग से बाहर पदोन्नति आदि करना।

दूरसंचार विभाग

कनिष्ठ अभियन्ता दूरसंचार की मांगे

1. दूरसंचार कनिष्ठ अभियन्ताओं के वेतनमानों को पुराने वेतनमान 550-900 रु से नए वेतन ढांचों में 1640-2900 रुपये में संशोधित करना।
2. चयन श्रेणी को पुराने वेतन ढांचे में 775-1000 रुपये में नये वेतन ढांचे में 2000-3200/-रुपये में संशोधित करना।
3. चयन श्रेणी ट्रांसमीशन सहायक, चयन श्रेणी फोन निरीक्षकों और चयन श्रेणी ए०ई०ए० और चयन श्रेणी डब्ल्यू० ओ० जैसे संवर्ग से पदोन्नत कनिष्ठ अभियन्ताओं के वेतन का निर्धारित करने के लिए एफ० आर० 22(ग) प्रावधान को पुनः लागू करना, और
4. वर्तमान टी ई एस० ग्रुप (ख) भर्ती नियमों को इस एसोसिएशन के सुझाव के अनुसार संशोधन करना।

कनिष्ठ अभियन्ताओं (सिविल) (इलैक्ट्रिकल) की मांगे।

1. विभागीय योग्यता परीक्षा, जो कि 17-18 मार्च को होनी है को

रद्द करना और तर्कसंगत पदोन्नति नीति बनाना।

2. कनिष्ठ अभियन्ताओं (सिविल/इलैक्ट्रिकल) दूरसंचार विभाग के वेतनमानों को अपग्रेड करना।

(1) दूरसंचार कनिष्ठ अभियन्ताओं के वेतन (मूल ग्रेड) को वर्तमान ढांचे में 1640-2900/-रुपये में संशोधित करना।

(2) नए वेतन ढांचे में 2000-3200/-रुपये का उच्चतर ग्रेड।

(3) पदोन्नति नियमों अर्थात् भर्ती नियमों को परिवर्तित करना।

3. कनिष्ठ अभियन्ताओं के लिए सरल लेखे :

इसे वर्ष में दो बार लिया जाना चाहिए और दूसरी वेतनवृद्धि पर रोक समाप्त की जानी चाहिए और 9-10-84 तथा 31-3-86 की अवधि के लिए परीक्षा के न लिए जाने से प्रभावित कनिष्ठ अभियन्ताओं (सिविल/इलैक्ट्रिकल) को देय वेतनवृद्धि तत्काल दे दी जानी चाहिए।

उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए 25 प्रतिशत विशेष ड्यूटी भत्ता :— वहां कार्य कर रहे कनिष्ठ अभियन्ताओं को यह भत्ता दिया जाना चाहिए जो कि अन्य प्रशासनिक विभागों के ऐसे ही संवर्ग को ग्राह्य है।

डिप्लोमा कनिष्ठ अभियन्ताओं को जो कि योजना अनुभागों में डिज़ाईन कार्य कर रहे हैं के लो०नि० विभाग के समान मानदेय देना।

Selection of Hot Mix Plants by DGSD

1768. SHRI BHAGATRAM MANHAR:

SHRI BIR BHADRA PRATAP SINGH:

Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some Members of Parliament have been written to Government in connection with the selection of Hot Mix plants by the DGSD to be used by the Ministry of Surface Transport;

(b) if so, what are the details in this regard and what action has been taken by Government thereon;

(c) whether it is a fact that Government have hurriedly decided to purchase of plant from an Ahmedabad company ignoring the claims of a number of companies who are offering modern and computerised plants; and

(d) if so, what steps are being taken to buy a modern and efficient plant by Government?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. R. DAS MUNSHI): (a) Yes, Sir.

(b) Offers for Imported as well as indigenous plants were received against Global Tender Enquiry for supply of Hot Mix Plant required by Ministry of Surface Transport. DGTD had only agreed for floating tender enquiry for import in case the indigenous manufacturers are not able to meet the requirement.

After Scrutiny of all tenders received against the Global Tender Enquiry in consultation with Ministry of Surface Transport the offer of M/s Apollo Earthmovers Pvt. Ltd., being the lowest technically indigenous acceptable offer was accepted and the order was placed with M/s Apollo, Ahmedabad.